

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम — Japanese Encephaliti की रोकथाम

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) —Japanese Encephalitis
के Diagnostics and Management

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 1 के आधार पर
)— स्तम्भ—

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) —

Japanese Encephalitis के Diagnostics and Management इस मद के अंतर्गत बिहार के दो मेडिकल कालेज — ANMMCH गया एवं PMCH पटना को चयनित किया गया है । Diagnostic and Management मद में दोनों मेडिकल कॉलेज को रु. 3 - 3 लाख प्रति का प्रस्ताव रखा गया है । इसके अंतर्गत कैम्प करके मरीजों की पहचान एवं जाँचोउपरांत उपचार की व्यवस्था की जायगी तथा प्रभावित क्षेत्रों में Focal Malathion का फौगिंग किया जायगा ।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)—3000000 रूपया /Medical Collage.

वित्तीय दिशा— नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्राक्धान NVBDCP के मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा पूर्व में दिये गये दिशा निदेश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम — Japanese Encephalitis की रोकथाम

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — Japanese Encephalitis का Training

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 1 के आधार पर)— स्तम्भ—

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) —
Training - NVBDCP के निर्देशन में प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराया जाना है । दस मद में 5 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया है । इस राशि को राज्य स्तरीय कार्यालय पर रख गया है । प्रभावित जिले के चिकित्सा पदा० एवं पारा मेडिकल स्टाफ को NBVDCP द्वारा Module उपलब्ध कराने पर प्रशिक्षण दिया जाना है ।

ईकाई राशि(रू० रुपया में)— 500000 रुपया राज्य स्तरीय

वित्तीय दिशा— नियमानुसार राज्यस्तरीय निययोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में। स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NVBDCP के मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निययोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम — Japanese Encephalitis की रोकथाम

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — Japanese Encephalitis की IEC गतिविधि
बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 1 के आधार पर
)— स्तम्भ—

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) — IEC

जपानी इंसेफलाइटिस की रोकथाम हेतु प्रचार — प्रसार के रूप में 2 लाख रुपये रखा गया है । उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के जिले यथा — बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज जापानी इंसेफलाइटिस से प्रभावित अन्य जिले यथा — गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं अरवल कुल 10 जिलों में IEC मद से प्रत्येक जिला 20 हजार रुपये की दर से रखा गया है । इसके अन्तर्गत IEC की गतिविधियां की जायगी जिसमें पोस्टर, पम्पलेट एवं वैनर से जनजागृति की जायगी तथा समाचार पत्र के माध्यम से एवं पारा मेडिकल स्टाफ के द्वारा जनजागृति की जायगी ।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)— 20000 रूपया

वित्तीय दिशा— नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में। 2. स्वास्थ्य विभागीय निर्णयोपरान्त । स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NVBDCP के मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण

कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758.94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम — Japanese Encephalitis की रोकथाम

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — Japanese

Encephalitis हेतु Technical malathion फॉगिंग

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 1 के आधार पर)— स्तम्भ—

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) — राज्य स्तर पर Technical Malathion प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । इस मद में 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत दी गई है, जबकि Technical Malathion के Fogging का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । इस संबंध में विगत वर्ष 2008 में बिहार के पांच जिले यथा — गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं अरवल जापानी इंसेफलाइटिस प्रभावित रहे हैं । इन जिलों में Fogging का प्रस्ताव है । इसमें गया जिला में ज्यादा जापानी इंसेफलाइटिस के रोगी पाये गये हैं । अतः गया जिला में Fogging हेतु 1 लाख रुपये तथा शेष चार जिले यथा — नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं अरवल में प्रत्येक जिला रूप्या 25 हजार की दर से राशि का प्रावधान किय गया है । छिड़काव के पूर्व एवं बाद में Vector Density का पता लगाने हेतु RMRI एवं NICD पटना शाखा के द्वारा कराया जा सकता है ।

ईकाई राशि(रु० रूपया में)—100000 रूपया + 25000 रूपया

वित्तीय दिशा— नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में। स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NVBDCP के मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं०— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा० आर०एन०पाण्डेय/डा० अरुण

कुमार/डा० एस०के०अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454

वित्तीय दिशा-निर्देशन

कार्यक्रम का नाम — Japanese Encephalitis की रोकथाम

बजट/एफ0एम0आर0शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर) — Japanese Encephalitis का Monitoring and Evaluation

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या(अनुलग्नक 1 के आधार पर)— स्तम्भ—

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य (5-10 वाक्य अधिकतम) — जे0 ई0 के Monitoring & Evaluation मद में राज्य स्तर पर एक लाख रुपये रखा गया है ताकि Epidemic की स्थिति में इसका अनुश्रवण एवं आवश्यक कार्रवाई किया जा सके । राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला स्तर पर CS की निगरानी में ACMO एवं DMO एवं संबंधित प्रभावित PHC के प्रभारी चिकित्सा पदा0 के द्वारा Monitoring and Evaluation किया जायगा ।

ईकाई राशि(रू0 रूपया में)—100000 रूपया

वित्तीय दिशा— नियमानुसार राज्यस्तरीय निर्णयोपरान्त कार्रवाई की जायेगी।1. भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में। स्वा0 एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के G.C. Chaturvedi, IAS Additional Sectetery & Misssion Director NRHM के DO No. 10 (33)/2009-NRHM-1 दिनांक 1 मई 2009 के आलोक में राशि का प्रावधान NVBDCP के मद से किया गया है ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो(पत्र सं0— तिथि के साथ उल्लेखित करें)—

क) भारत सरकार (NVBDCP)के द्वारा निदेशित गतिविधि जो विभागीय निर्णयोपरांत स्वीकृत किया जा सकेगा ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार कानाम— डा0 आर0एन0पाण्डेय/डा0 अरूण कुमार/डा0 एस0के0अमन

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकारका फोन नम्बर —98350-12758/94310-

23237/94314-08454